नारीख	प्रकरण संख्या 03/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/14 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी बनाम मांगीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2025	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के द्वारा ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा संख्या 103 मी. की भूमि का आवंटन आदेश संख्या 672 दिनांक 01.07.65 के जरिये कुपा पुत्र मगना के पक्ष में हुये आवंटन की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 14.07.71 एवं उसके पश्चातवर्ती स्वीकृत हुये समस्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009–28 के अनुसार उक्त भूमि कि किस्म गै. मु.नाला है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि में आती है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह कथन किया कि उन्होने उक्त भूमि उन्होनें कुपा वल्द मगना से जरिये रजिस्ट्री खरीद की है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने आवंटनकर्ता कुपा पुत्र मगना को पक्षकार न बनाकर केवल वर्तमान खातेदार मांगीलाल पुत्र मूलाराम को पक्षकार बनाया है। इसलिये प्रकरण में उचित पक्षकार संयोजित नहीं होने से इसे खारिज फरमाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटन आदेश संख्या 672 दिनांक 01.07.65 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 14.07.71 के द्वारा जिस व्यक्ति के पक्ष में आंवटन हुआ है उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा पत्रावली के साथ उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं जैर आराजी की वर्ष 1947 की जमाबन्दी भी पेश नहीं की है। साथ ही अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी यह कथन किया कि उन्होने उक्त भूमि उन्होनें कुपा वल्द मगना से जरिये रजिस्ट्री खरीद की है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने आवंटनकर्ता कुपा पुत्र मगना को पक्षकार न बनाकर केवल वर्तमान खातेदार मांगीलाल पुत्र मूलाराम को पक्षकार बनाया है। जब प्रार्थी ने प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 92 से प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार ही नहीं बनाया है तो उन्हें बिना सुने प्रकरण में कोई भी निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 आवश्यक पक्षकारों एवं सुगसंगत दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी तहसीलदार, रानी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिक उपचार करते हुये जैर आराजी से सम्बन्धित समस्त प्रभावित खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर उनके वर्तमान पत्ते एवं जैर आराजी से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पुनः पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली